राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ 17(ई)पराविं/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/461 जयपुर,दिनांक : 02/03/2022

आदेश

इस विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक 1012 दिनांक 22.02.2018 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी परिवाद अथवा शिकायत की जांच करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं की पालना करवाई जायेगी तथा परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर,शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा,किया गया था परन्तु यह देखने में आया है कि परिवाद/शिकायतों के साथ 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प संलग्न नहीं होते है जिससे कार्यालयों में अनावश्यक शिकायतें प्राप्त होती रहती है एवं उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

अतः इस बाबत पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त सबंधितों द्वारा परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर,शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा, अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे ।

(पी.सी.किशन)

शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

2–विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

3–निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

4–निजी सचिव,शासन सचिव,पंचायती राज विभाग ।

5–निजी सचिव,शासन सचिव,ग्रामीण विकास विभाग ।

6–निजी सचिव,आयुक्त नरेगा ।

7–मुख्य/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद समस्त ।

8–समस्त अधिकारीगण मुख्यालय को भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

9–विकास अधिकारी,पंचायत समिति समस्त ।

10–ए0सी0पी0पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

11–आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)